प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1. जिलाः–ए.सी.बी. चौकी कोटा देहात **थाना**.... प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्र0नि0ब्यूरो, जयपुर
   प्र0सू0रि0संख्या .....32/22..... दिनांक.....5/2/2022
2. (1) अधिनियम–भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 धारा–07
   (2) अधिनियम– भारतीय दण्ड सहिंता .....धारा –
   (3) अधिनियम.....धारायें –.....
   (4) अन्य अधिनियम धारायें.....
3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या.....77.....समय.....12.05 P.M.
   (ब) अपराध घटने का दिन ... बृहस्पतिवार....दिनांक....03.02.2022 ...समय 09.01 ए.एम.
   (स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक... 02.02.2022 समय 12.55 पी.एम.
4. सूचना की किस्म लिखित/ मौखिक – हस्तलिखित रिपोर्ट
5. घटना स्थलः– पंचायत समिति, सुल्तानपुर परिसर स्थित आरोपी का सरकारी आवास
(अ)पुलिस थाना से दिशा व दूरीः–बजानिब उत्तर–पूर्व व 45 कि.मी.
(ब) 'पताः– पंचायत समिति सुल्तानपुर परिसर स्थित आरोपी का सरकारी आवास
जरायम देही संख्या.....
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
पुलिस थाना –
6. परिवादी/सूचनाकर्ता :–
(अ) नामः– श्री हरविन्द्र सिंह
(ब)पिता का नाम – श्री हीरा सिंह
(स) जन्म तिथी/वर्ष..... उम्र 31 वर्ष
(द) राष्ट्रीयता.– भारतीय
(य) पासपोर्ट संख्या.....जारी होने की तिथी.....
जारी होने की जगह.....
(र)व्यवसाय–व्यवसाय
(ल) पता – बालापुरा कुन्हाडी, हाल म.न.–3, श्रीनाथ विहार, बूंदी रोड कोटा
7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्योरा सम्पूर्ण विशिष्ठियों सहित :–

   (1) श्री विश्राम सिंह मीणा पुत्र श्री होरी लाल जाति मीणा उम्र 53 साल निवासी ग्राम बडापुरा, पोस्ट भावली, तहसील मासलपुर, जिला करौली हाल सहायक अभियंता, एवं कार्यवाहक ब्लॉक विकास अधिकारी, पंचायत समिति सुल्तानपुर जिला कोटा।

8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने मे विलम्ब का कारणः–..... शून्य..
9. चुराई हुई लिप्त सम्पत्ति की विशिष्ठियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये).
10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्तियों का कुल मूल्य.....50,000/– रूपये.....
11. पंचनामा/यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो).....
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्नालगायें) :–

श्रीमान प्रकरण के हालात इस प्रकार हैं कि दिनांक 02.02.2022 समय 12:55 पी.एम. पर मन् विजय सिंह, उप अधीक्षक पुलिस को परिवादी श्री हरविंन्द्र सिंह पुत्र श्री हीरासिंह जाति राजपूत उम्र 31 साल निवासी बालापुरा कुन्हाडी हाल मकान नं. 03 श्रीनाथ विहार कॉलोनी, बूंदी रोड कोटा, जिला कोटा, मोबाईल नं. 9929797400 ने उपस्थित कार्यालय होकर एक स्वयं द्वारा हस्तलिखित प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि "मैं ठेकेदारी का काम करता हूं। मैंने दो फर्म बना रखी है। फर्म शिवांग एन्टरप्राईजेज मेरे नाम से है व फर्म वंश एन्टरप्राईजेज मैने मेरे मुंशी ओमप्रकाश के नाम से बना रखी है। पंचायत समिति सुल्तानपुर में सामग्री सप्लाई का टेण्डर फर्म वंश एवं शिवांग एन्टरप्राइजेज के नाम है। वंश एन्टरप्राईजेज का काम भी मैं ही देखता हूं। पंचायत समिति सुल्तानपुर के सहायक अभियंता श्री विश्राम मीणा जिनके पास बी.डी.ओ. का चार्ज भी है। श्री विश्राम मीणा, एईएन साहब मेरी सामग्री में कमी बताकर जानबूझकर काम रूकवा देते है। फिर पुनः काम चालू करने की बात करता हूं तो मुझसे रिश्वत की मांग करते है। इसी तरह पहले भी श्री विश्राम मीणा ने मण्डावरी इंटरलांकिग के काम में 01 लाख रूपये व खेडली महादीत के काम में 50 हजार रूपये मेरे से लिये थे। श्री विश्राम मीणा ने अभी मेरे बमोरी ग्राम पंचायत के गांव ककरावदा के शमशान के रास्ते पर चले रहे इंटरलांकिग के काम को बंद करवा दिया है। मैं 12–13 दिन पहले उनसे मिला तो निर्माण सामग्री पास करने के लिए वह 01 लाख रूपये रिश्वत की मांग कर रहे है। वह मेरे से 01 लाख रूपये रिश्वत लेने के बाद ही मुझे काम करने देगें। श्री विश्राम मीणा रिश्वत की

बात मुझसे ही करेगें। श्री विश्राम मीणा, एईएन साहब से मेरी कोई पुरानी रंजिश नहीं है, ना ही कोई उधारी के पैसो का लेनदेन है। मै मेरे जायज काम के बदले श्री विश्राम मीणा को रिश्वत नहीं देना चाहता हूं। कार्यवाही ब्यूरो :– प्रमाणित किया जाता है कि रिपोर्ट हाजा परिवादी श्री हरविन्द्र सिंह पुत्र हीरासिंह जाति राजपूत उम्र 31 वर्ष निवासी बालापुरा कुन्हाडी हाल निवासी मकान नं. 3, श्रीनाथ विहार कॉलोनी, बूंदी रोड कोटा ने हस्तलिखित तहरीर पेश की। मजमून प्रार्थना पत्र व मजीद दरयाफ्त पर परिवादी ने बताया कि श्री विश्राम मीणा, एईएन साहब मेरी सामग्री में कमी बताकर जानबूझकर काम रूकवा देते है। फिर पुनः काम चालू करने की बात करता हूं तो मुझसे रिश्वत की मांग करते है। इसी तरह पहले भी श्री विश्राम मीणा ने मण्डावरी इंटरलांकिग के काम में 01 लाख रूपये व खेडली महादीत के काम में 50 हजार रूपये मेरे से लिये थे। श्री विश्राम मीणा ने अभी मेरे बमोरी ग्राम पंचायत के गांव ककरावदा के शमशान के रास्ते पर चले रहे इंटरलांकिग के काम में सप्लाई के कार्य को बंद करवा दिया है। मैं दो –तीन दिन पहले उनसे मिला तो निर्माण सामग्री पास करने के लिए वह 01 लाख रूपये रिश्वत की मांग कर रहे है। वह मेरे से 01 लाख रूपये रिश्वत लेने के बाद ही मुझे काम करने देगें। चूंकि इस समय डां. प्रेरणा शेखावत, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्र.नि.ब्यूरो, कोटा देहात उपस्थित कार्यालय नहीं है, परिवादी रिश्वत मांग की वार्ता आज ही होना बता रहा है। प्रार्थना पत्र व दरयाफ्त से मामला प्रथम दृष्ट्या रिश्वत की मांग का होना पाया गया है। मामला रिश्वत की मांग का होने से सत्यापन करवाया जाना आवश्यक है। अतः श्री पवन कुमार कानि. 272 को तलब कर परिवादी श्री हरविन्द्र सिंह से परिचय करवाया गया। समय 01.40 पी.एम. पर मालखाने से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर निकालकर परिवादी को चालू व बन्द करना समझाया गया। फर्द सुपुदर्गी डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मुर्तिब की गई। परिवादी श्री हरविन्द्र सिंह को आरोपी श्री विश्राम मीणा, ब्लॉक विकास अधिकारी पंचायत समिति, सुल्तानपुर से अपने काम व रिश्वत राशि के बारे में वार्ता करने व वार्ता को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करने की हिदायत कर रवाना किया गया एवं श्री पवन कुमार कानि0 272 को परिवादी के हमराह वार्ता की निगरानी हेतु रवाना किया गया। समय 05.00 पी.एम पर परिवादी श्री हरविन्द्र सिंह मय श्री पवन कुमार कानि0 272. के कार्यालय में उपस्थित आया। परिवादी ने अपने पास से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर निकालकर मौखिक बताया कि हम यहां से रवाना होकर पंचायत समिति सुल्तानपुर पहूंचे। जहॉ मैनें इन्हें मेरी गाडी में ही छोड दिया और मैं आरोपी से मिलने उसके कार्यालय में गया। मैंने जाने से पहले डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को चालू कर लिया था। श्री विश्राम मीणा सहायक अभियंता एवं चार्ज ब्लॉक विकास अधिकारी पंचायत समिति सुल्तानपुर से मेरे ग्राम पंचायत बमोरी के गांव ककरावदा में श्मशान के रास्ते वाले इन्टरलोकिंग कार्य में इन्टरलोकिंग सामग्री को पास करने की एवज में 1,00,000/ रूपये रिश्वत राशि की मांग की है। श्री विश्राम मीणा ने मुझे रिश्वत राशि लेकर कल सुबह जल्दी ही सुल्तानपुर बुलाया है तथा कहा है कि 09 बजे मैं निकल जाउंगा, उससे पहले ही आना। मैंने बातचीत के बाद डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को बन्द कर लिया था। श्री पवन कुमार कानि0 ने परिवादी के कथनों की ताईद की। इस पर मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को चालू कर सुना गया तो परिवादी के कथनों की पुष्टि हुई। परिवादी के बताये अनुसार आरोपी ने कल दिनांक 03.02.2022 को सुबह 09 बजे से पहले रिश्वत राशि लेकर बुलाया है। अतः ट्रेप कार्यवाही की पूर्ण सम्भावना होने से स्वतंत्र गवाहान की तलबी आवश्यक है। फर्द प्राप्ति डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मुर्तिब कर डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को सुरक्षित रखवाया गया। समय 05.15 पी.एम. श्री विशेष कुमार कानि0 चालक को सचिव यूआईटी कोटा के नाम तहरीर देकर ट्रेप कार्यवाही हेतु दो स्वतंत्र गवाहान कार्यालय में लेकर आने हेतु रवाना किया गया। समय 06.20 पी.एम. श्री विशेष कुमार कानि0 चालक उक्त फिकरा का रवानाशुदा वापस आया और मन उप अधीक्षक पुलिस को यूआईटी कोटा का पत्रांक 363 दिनांक 02.02.2022 पेश कर बताया कि पत्रानुसार दो स्वतंत्र गवाह श्री उमाकान्त भारद्वाज, कनिष्ठ सहायक व श्री सोनू गुर्जर, कनिष्ठ सहायक अपने साथ लेकर उपस्थित आया। मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा उपस्थित दोनों गवाहान को स्वयं का परिचय देकर की जाने वाली कार्यवाही से अवगत कराया। दोनों गवाहान का परिचय परिवादी श्री हरविन्द्र सिंह से करवाया। दोनों गवाहान से ट्रेप कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह बनने की मौखिक सहमति प्राप्त कर परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दोनों गवाहान से पढवाकर हस्ताक्षर करवाये गये। समय 06.25 पी.एम. पर कार्यालय के श्री पवन कुमार कानि. द्वारा उक्त डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्ता को कार्यालय के लैपटॉप में लिवाया जाकर स्पीकर चालू कर परिवादी व दोनों गवाहान को सुनाया गया। परिवादी ने रिकॉर्ड वार्ता में एक आवाज स्वयं की व दूसरी आवाज आरोपी विश्राम मीणा सहायक अभियंता एवं ब्लॉक विकास अधिकारी पंचायत समिति सुल्तानपुर की होना पहचान की। रूबरू गवाहान व परिवादी की उपस्थिति में फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत